न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 06/2023
दायर दिनांकः 04.04.2023
निर्णय दिनांक 21.10.2024

—:अनवानः—

1. शंकरलाल पिता नारायणलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी हाथीनाडा कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद मो. नं. 9414173775

— अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द जिला राजसमन्द
2. भरत पिता रतनलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा
3. भवानीशंकर पिता रतनलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा,
4. कुसुम पिता रतनलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा
5. कविता पिता रतनलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा
6. निर्मला पिता रतनलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा
7. लक्ष्मीदेवी पत्नि रतनलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द नामान्तरकरण संख्या 4500 दिनांक 07.09.2020 से व्यथित होकर
अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— रेस्पोडेन्ट संख्या 02,03,04,05,06,07 अनुपस्थित

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द में खसरा संख्या 1531 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भुमि स्थित है। जो पूर्व में 1.01 एक बीघा एक बिस्वा भुमि के रूप में दर्ज रही है। उक्त भुमि के खातेदार रतनलाल पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी धोईन्दा अर्थात रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत सात के पूर्वाधिकारी ने जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 30.01.2017 को विक्रय की थी जिसका नामान्तरकरण विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार राजसमंद द्वारा स्वीकृत न कर उक्त भुमि का विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जिससे व्यथित

न्यायालय जिला कलक्टर

होकर यह अपील प्रस्तुत की है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा खातेदार रतनलाल का विरासत का स्वीकृत नामान्तरण तथ्यो एवं विधि के विपरित है। रतनलाल की अन्य भूमियों के साथ उक्त नामातरण स्वीकृत किया है जो अवैध है। रतनलाल द्वारा आराजी संख्या 1531 रकबा 01.01 भुमि में से निहित अपना 13/186 वॉ हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 30.01.2017 को अपीलार्थी को विक्रय कर दिया है तत्पश्चात् उक्त भुमि में रतनलाल का कोई हिस्सा हक अधिकार हित निहित नहीं रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से भुमि अंतरण किये जाने से उक्त भुमि में हक अधिकार अपीलार्थी के निहित हो चुके है ऐसी स्थिति में भी नामान्तरकरण की गई कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्ध है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रय विलेख की जानकारी रतनलाल के वारीसान उत्तराधिकारी को भी रही हे जिन्होनें सहमती पूर्वक विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। रतनलाल ने अपने परिवारजन की जानकारी में भुमि विक्रय की है। फिर भी रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् यह जानते हुऐ कि रतनलाल ने अपने जीवन काल में ही इस भुमि को अंतरण कर दी है विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोण्डेंट संख्या दो से सात ने तहसीलदार राजसमंद से मिलीभगत कर अपने नाम पर स्वीकृत कराया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अध्यधीन बने हुऐ लैण्ड रेकार्ड रूल 141 व 143 के प्रावधानो के तहत राजस्व अधिकारियो को पंजीकृत अंतरण विलेख के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने का दायित्व है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु अपीलार्थी ने विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को तत्तकालीन समय में प्रदान की थी लेकिन उन्होनें नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया। उप पंजियक राजसमंद द्वारा भी विक्रय पत्र पंजीयन के पश्चात् विक्रय पत्र की प्रति तहसीलदार को प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर भी राजस्व अधिकारियो द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है, लेकिन उक्त प्रकरण में विकय पत्र के अनुसरण में नामान्तरकरण न कर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 07.09.20 नामान्तरण संख्या 4500 में वर्णित राजस्व ग्राम धोईन्दा की खसरा संख्या 1531 में विक्रय पत्र के अनुसरण में अपीलार्थी के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 07 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांकः 08.10.2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 07 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार

न्यायालय जिला कलक्टर

हल्का धोईन्दा तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द में खसरा संख्या 1531 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भुमि स्थित है। जो पूर्व में 1.01 एक बीघा एक बिस्वा भुमि के रूप में दर्ज रही है। उक्त भुमि के खातेदार रतनलाल पिता सूरजमल जी कुमावत निवासी धोईन्दा अर्थात रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत सात के पूर्वाधिकारी ने जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 30.01.2017 को विक्रय की थी जिसका नामान्तरकरण विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार राजसमंद द्वारा स्वीकृत न कर उक्त भुमि का विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा खातेदार रतनलाल का विरासत का स्वीकृत नामान्तरण तथ्यो एवं विधि के विपरित है। रतनलाल की अन्य भूमियों के साथ उक्त नामातरण स्वीकृत किया है जो अवैध है। रतनलाल द्वारा आराजी संख्या 1531 रकबा 01.01 भुमि में से निहित अपना 13/186 वॉ हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.01.2017 को अपीलार्थी को विक्रय कर दिया है तत्पश्चात् उक्त भुमि में रतनलाल का कोई हिस्सा हक अधिकार हित निहित नहीं रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से भुमि अंतरण किये जाने से उक्त भुमि में हक अधिकार अपीलार्थी के निहित हो चुके है ऐसी स्थिति में भी नामान्तरकरण की गई कार्यवाही अवेध एवं विधि विरूद्ध है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रय विलेख की जानकारी रतनलाल के वारीसान उत्तराधिकारी को भी रही हे जिन्होनें सहमती पूर्वक विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। रतनलाल ने अपने परिवारजन की जानकारी में भुमि विक्रय की है। फिर भी रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् यह जानते हुऐ कि रतनलाल ने अपने जीवन काल में ही इस भुमि को अंतरण कर दी है विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोण्डेंट संख्या दो से सात ने तहसीलदार राजसमंद से मिलीभगत कर अपने नाम पर स्वीकृत कराया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अध्यधीन बने हुऐ लैण्ड रेकार्ड रूल 141 व 143 के प्रावधानो के तहत राजस्व अधिकारियो को पंजीकृत अंतरण विलेख के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने का दायित्व है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु अपीलार्थी ने विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को तत्कालीन समय में प्रदान की थी लेकिन उन्होनें नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया। उप पंजियक राजसमंद द्वारा भी विक्रय पत्र पंजीयन के पश्चात् विक्रय पत्र की प्रति तहसीलदार को प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर भी राजस्व अधिकारियो द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है, लेकिन उक्त प्रकरण में विक्रय पत्र के अनुसरण में नामान्तरकरण न कर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। रतनलाल द्वारा आराजी संख्या 1531 रकबा 01.01 भुमि में से निहित अपना 13/186 वॉ हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.01.2017 को अपीलार्थी शंकरलाल को विक्रय कर दिया है। विक्रय पत्र पर सहमति के रूप में रतनलाल के वारिसान के नाम व हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त

पंजिकृत विक्रय पत्र को रेस्पोडेन्टगण द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती दिये जाने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 07 का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जे की सूचना भी पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। केवल रतनलाल की मृत्यु से पूर्व पंजीकृत दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध हैं। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4500 दिनांकः 07.09.2020 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि समस्त पक्षकारो की नियमानुसार नये सिरे से जॉच कर नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

21/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 21.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

21/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद